कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री जी0 के0 ट्रेडर्स, कोटे ईस्ट, सम्भल, मुरादाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**009 / 09, 02.02.2009**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री जी0 के0 ट्रेडर्स, कोटे ईस्ट, सम्भाल, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 02.02.2009 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' electric two wheeler with paddle assistance '' पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 06.03.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि उक्त two wheeler की बिक्री पर प्रार्थी द्वारा 4% की दर से कर चार्ज किया जा रहा है। किन्तु डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, सम्भल श्री राजेंश कुमार द्वारा उक्त two wheeler की बिक्री के सम्बन्ध में पूछताछ की गई है। तथा डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, सम्भल द्वारा उक्त two wheeler की बिक्री पर 12.5% की दर से कर जमा करने के लिए नोटिस दिया गया है। जबकि प्रार्थी उक्त two wheeler पर Bicycle की भाँति 4% की दर से करदेयता मान रहे हैं।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद द्वारा पत्र संख्या-3962, दिनांक 25.02.2009 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि electric two wheeler को किसी अन्य अनुसूची में वर्गीकृत नहीं किया गया है। जिसके कारण electric two wheeler उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत 12.5% की दर से करयोग्य है। यह भी कहा गया कि फर्म द्वारा बिक्री की जा रही electric two wheeler अनुसूची-II, भाग-ए के क्रमांक-19 पर अंकित Bicycles,.....के अन्तर्गत नहीं आती है क्योंकि बिक्री की जाने वाली electric two wheeler है जो इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, सम्भल श्री राजेश कुमार द्वारा उनके प्रकरण में बिक्री किये जा रहे electric two wheeler पर 12.5% की दर से कर जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कर-निर्धारक अधिकारी स्तर से प्रश्नगत मामले में नोटिस जारी की गयी है। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अनुसार प्रकरण में प्रोसीडिंग पेन्डिंग होने के कारण प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। अत: ग्राह्य न होने के कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1,

...2

वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी के मामले में कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा 12.5% की दर से कर जमा करने हेतु नोटिस जारी की गयी है जिसके कारण प्रकरण में कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रोसीडिंग पेन्डिंग है। तथा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। फलत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 21 मार्च, 2014

ह0 / 21.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।